

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ. 15 (3) (95) सा.सु./मु.हु.वि. योजना/2020/50150-183

जयपुर, दिनांक: 05/08/22

उपनिदेशक/सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

.....(समस्त)

**विषय:**—मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनान्तर्गत फीस पुनर्भरण के संबंध में मार्गदर्शन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिलाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनान्तर्गत कोर्स फीस पुनर्भरण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनान्तर्गत उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा हेतु फीस का पुनर्भरण विभाग की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित फीस कैपिंग के अनुसार (As Per Fee Structure Of Scholarship) किया जावे।

  
(हरि मोहन मीना)


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 15 (3) (95) सा.सु./मु.हु.वि. योजना/2020/50184-523

जयपुर, दिनांक: 05/08/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सान्याअवि., शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, निदेशालय बाल अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर ,.....।
5. अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), सान्याअवि, मुख्यावास।
6. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, .....।
7. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

ई-मेल : raj.palanhar@rajasthan.gov.in, फोन : 0141-2226604 हैल्पलाइन डेस्क - 1800-180-6127